भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 55
25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना
55. श्री हिबी इडनः
डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जैविक उत्पाद पैदा करने वाले अधिकतर किसानों को खराब नीतिगत उपायों, बढ़ती हुई आदान लागतों तथा सीमित बाजार के कारण संघर्ष करना पड़ रहा है और यदि हां तो देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का देश में जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्रामीण किसानों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को यदि कोई निदेश दिए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आयोजित किए गए जागरूकता शिविरों का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास फलों और सब्जियों सहित कृषि उपजों के उत्पादन में कीटनाशकों/ विषैले रसायनों के संतुलित प्रयोग पर नियंत्रण रखने हेतु कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने जैविक खेती क्षेत्र की समीक्षा करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की कार्य-योजना क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जैविक खेती को बढ़ावा देना के संबंध में दिनांक 25.06.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 55 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): जैविक खेती से संबंधित कृषि मंत्रालय की नीति का उद्देश्य जैविक खेती के पक्ष में प्राकृतिक संसाधनों के तकनीकी रूप से सक्षम आर्थिक रूप से व्यवहारिक, पर्यावरण के अनुरूप और सामाजिक रूप से स्वीकार्य ढ़ंग से उपयोग बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य मृदा उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखना, जैव संसाधनों का संरक्षण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना तथा कृषि-व्यवसाय को तेजी से बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि कामगारों और उनके परिवारों के लिए जीविका का बेहतर स्तर प्राप्त करना भी है।

नीतिगत दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वर्ष 2015-16 से समर्पित स्कीमों नामत: पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के जरिए राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इन दोनों स्कीमों का उद्देश्य रसायन मुक्त, निम्न आदान लागत वाली सतत जैविक खेती के समूहों(क्लस्टर)/किसान उत्पादक संगठनों के गठन में और मंडियों से आदान खरीद में किसानों को सहायता उपलब्ध करना है।

- पीकेवीवाई के तहत प्रति वर्ष 3 वर्षों के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपए की सहायता दी जाती है जिसमें से 31,000 रूपए (61 प्रतिशत) आदानों (जैव-उर्वरक, जैव कीटनाशक, वर्मी कम्पोस्ट, वानस्पति सार आदि) के उत्पादन/खरीद, फसलोंपरांत अवंसरचना सृजन और विपणन आदि के लिए डीबीटी के जरिए सीधे किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।
- एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना से लेकर खेतों पर/उनके बाहर कृषि आदान उत्पादन, बीजों/रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसलोपरांत अवसंरचना, संग्रहणों, छटाई, ग्रेडिंग सुविधाओं, समेकित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोर चैंबर, ब्राडिंग और पैकेजिंग आदि तक मूल्य श्रृंखला मोड में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- जैविक खेती को अन्य स्कीमों यथा-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), आईसीएआर के तहत जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के तहत भी सहायता उपलब्ध कराई गई है। जैविक खेती से संबंधित तृतीय पक्ष प्रमाणन कार्य, को कृषि प्रसंस्कृत खाद्य एवं निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
- किसान पीकेवीवाई के तहत घरेलू मंडियों के लिए कम कीमत वाली सहभागिता प्रमाणीकरण गारंटी प्रणाली को अपनाते हैं जबकि उच्च दर्जे की फसलों के निर्यात के लिए एमओवीसीडीएनईआर के तहत तृतीय पक्ष प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।
- सरकार का मुख्य जोर उत्पादन अभिमुखीकरण से बाजारोन्मुखी संपर्क उत्पादन पर है ताकि किसान जैविक उत्पादों सहित अपने उत्पादों का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त जैविक उत्पादों का और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल- **jaivikkheti.in-** का विकास किया गया है ताकि बेहतर कीमतों के लिए जैविक खेती करने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकें।

(ग) यह विभाग ऐसे क्षेत्रों में जहां क्लस्टर गठित हैं उन स्थानों में जैविक खेती से जुड़े अभ्यासों के बारे में किसानों को जागरूक और शिक्षित करने पर जोर दे रहा है। किसानों के संघठन के लिए पीकेवीवाई योजना के तहत 1000 क्लस्टरों के लिए प्रति क्लस्टर 80000 रुपये की वित्तीय सहायता

के आवंटन का प्रावधान है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ), गाजियाबाद जो डीएसीएंडएफडब्ल्यू का एक अधीनस्थ कार्यालय है मुद्रित और इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यम के जरिए विस्तार और प्रचार गतिविधियां संचालित करता है। यह केंद्र जैविक खेती पर 30 दिवसीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) आदि के तहत विश्लेषकों के लिए 10 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' एसएजीवाई के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से किसान प्रशिक्षण और फील्ड प्रदर्शन (एफटीएफडी) कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

क्लस्टर/किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने और उनके क्षमता निर्माण/उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए किसानों को जैविक खेती आरंभ करने के लिए प्राथमिक सहायता दी जाती है जो इन स्कीमों के एकीकृत घटक हैं।

कर्नाटक राज्य सहित प्रत्येक राज्य में किसानों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार, किसान फील्ड स्कूलों और 2 दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का संचालन करके केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति की (सीआईबीएंडआरसी) सिफारिशों के अनुसार कीटनाशकों के औचित्य पूर्ण उपयोग और उनके आवश्यकता आधारित प्रयोग के बारे में अपने 35 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) केन्द्रों के जरिए किसानों और राज्य विस्तार कामगारों को लगातार शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं। किसानों को केवल अंतिम उपाय के रूप में रसायनों के साथ कृषिगत, मेकैनिकल और जैविक जैसे वैकल्पिक कीट प्रबंधन अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आईपीएम केन्द्र प्राकृतिक पारिस्थिकीय को संरक्षित करने, जैव नियंत्रण कारकों की वृद्धि और संरक्षण करने और तथा कीट प्रबंधन हेतु कृषिगत एवं यांत्रिक अभ्यासों को लोकप्रिय बनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि समस्या को रोका जा सके।

(ड.) सरकार ने जैविक खेती योजना की समीक्षा की और अक्टूबर, 2018 में पीकेवीवाई दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसान पीजीएस-इंडिया मानदंडों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की जैविक खेती कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रणाली को अपनाते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपनाई गई प्रणाली क्षेत्र के अनुकूल है और इससे अधिकतम उपज सुनिश्चित होती है और यह प्रणाली पोषक तत्वों, कीटों और रोगों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त उपाय करती है। किसान अपनी स्थिति के सर्वाधिक अनुकूल प्रणाली (प्रणालियों) का उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत संचालित क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण की संख्या का विवरण

	राज्य का नाम	पीकेवीवाई योजना के तहत प्रशिक्षण/जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कुल संख्या	एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत प्रशिक्षण/जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	26500	–
2	बिहार	2135	–
3	छत्तीसगढ़	6000	–
4	गुजरात	500	–
5	गोवा	2520	–
6	हरियाणा	100	–
7	झारखंड	1250	–
8	कर्नाटक	2725	–
9	केरल	3095	–
10	मध्य प्रदेश	19140	–
11	महाराष्ट्र	6290	–
12	ओडिशा	5200	–
13	पंजाब	1250	–
14	राजस्थान	30750	–
15	तमिलनाडु	1560	–
16	तेलंगाना	3450	–
17	उत्तर प्रदेश	3100	–
18	पश्चिम बंगाल	600	–
19	असम	1100	220
20	अरुणाचल प्रदेश	95	260
21	मिजोरम	170	170
22	मणिपुर	150	265
23	नागालैंड	120	640
24	सिक्किम	750	400
25	त्रिपुरा	250	80
26	मेघालय	225	35
27	हिमाचल प्रदेश	1050	–
28	जम्मू और कश्मीर	140	–
29	उत्तराखंड	22425	–
30	अंडमान और निकोबार	340	–
31	दमन और दीव	275	–
32	दादर नगर	2500	–
33	दिल्ली	2500	–
34	पुडुचेरी	40	–
35	चंडीगढ़	325	–
36	लक्षद्वीप	675	–
	कुल	149295	2070

*** एमओवीसीडीएनईआर योजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जाती है।**

****